

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2985 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 6 / 2018

दो-14-35 / 17

श्रीमती रुचिका गंगराडे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर को पात्रता एवं अवकाश नियमानुसार दिनांक 08/09/16 से 17/10/16 तक 40 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 18/10/16 से 15/01/17 तक 90 दिन का अदेय अवकाश एवं दिनांक 16/01/17 से 09/03/17 तक 53 दिन का असाधारण अवकाश, दिनांक 15/03/17 से 16/04/17 तक 33 दिन का अदेय अवकाश, दिनांक 17/04/17 से 13/10/17 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश, दिनांक 24/10/17 से 02/11/17 तक 10 दिन का असाधारण अवकाश एवं दिनांक 03/11/17 से 20/12/17 तक 48 दिन का अदेय अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

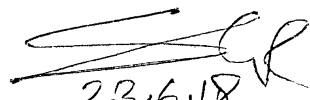
पृष्ठांकन क्रमांक C/2986 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 6 / 2018

दो-14-35 / 17

प्रतिलिपि :-

1. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर के ज्ञापन क्रमांक अवकाश/817 इंदौर दिनांक 20/04/2018 के द्वारा श्रीमती रुचिका गंगराडे, सहायक ग्रेड-तीन का अवकाश आवेदन पत्र, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अवकाश लेखा मूलतः एवं सहपत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


23.6.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)